Asstt. Store Keeper

(11)	(12)
Tasking Staff—5% (d) By promotion of Sorters on seniority-cum-fitness basis—30% (e) By promotion of Multi-Tasking Staff—10%	(c) Seniority-cum-fitness basis : Multi-Tasking Staff with 3 years of service in the grade rendered after appointment there to on regular basis and who possess minmum educational qualification of matriculation or equivalent. **Note : 1.** When juniors who have completed the eligibility period are considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation. **Note 2 :** Departmental candidates promoted on seniority-cum-fitness basis should pass the prescribed type test with a minimum speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi only on computer.

(13)		(14)
1. Head of the Postal Account Office	—Chairman	Not applicable.
2. Officer Incharge of Administration	—Member	
3. One Senior Officer to be nominated by the Head of Office	—Member	

[F. No. 1(1)/10/PA-Admn. I]

R. MAGADEVAN, Asstt. Director General (PA-Admn.)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 188.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक भंडारी) भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक भंडारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक भंडारी) भर्ती नियम, 2004 में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :–

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक भंडारी	94* (2010) *(कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 5200–20,200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सरकारी अभ्यर्थियों की

	(7)
	दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण किया हो या समतुल्य, हिन्दी का ज्ञान रखता हो और भंडार लेखा के अनुरक्षण का तीन वर्ष अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिपपण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हाँ	दो वर्ष

(8)
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
तैंतीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और सढसठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :** ऐसे तकनीकी आपरेटर (भंडार) में से जिन्होंने श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो जिसमें भंडार लेखा के अनुरक्षण का दो वर्ष अनुभव सम्मिलित है। **टिप्पण 1 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए । जनवरी, 2006 या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलन किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन में सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब तक उनके द्वारा की गई ऐसी पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :	लागू नहीं ।

(13)	
1. निदेशक (प्रशासन) केन्द्रीय, भूमिगत जल बोर्ड	—अध्यक्ष
2. कार्यपालक इंजीनियर केन्द्रीय, भूमिगत जल बोर्ड	—सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :–	
(1) निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—अध्यक्ष
(2) कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—सदस्य
(3) प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—सदस्य

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 178, तारीख 7 मई, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए।

[फा. सं. 23/22/2009-सीजीडब्ल्यू.बी.]

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 23rd September, 2010

G.S.R. 188.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board (Assistant Store Keeper) Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Assistant Store Keeper) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Assistant Store Keeper) Recruitment Rules, 2004, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/or Pay Scale	Whether Selection-Post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Store Keeper	94*(2010) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 Plus Grade Pay Rs. 1900	Non-selection

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(6)	(7)
No	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Cental Government from time to time.

(7)
Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
12th pass from a recognised Board or equivalent, possessing knowledge of Hindi and three years experience of maintaining store accounts. **Note 1 :** Qualifications are relexable at the discretion of the Central Government in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No. Educational Qualifications : Yes	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Thirty-three per cent by promotion failing which by direct recruitment and sixty-seven per cent, by direct recruitment.	**Promotion :** From Technical Operator (Stores) with four years regular service in the grade including two years experience of maintaining store accounts. **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the services rendered on a regular basic by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be

(12)
deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall be extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotions, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have succeessfully completed their probation period for promotions to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee, (for promotion) consisting of : — (i) Director (Administration), Central Ground Water Board —Chairman (ii) Executive Engineer, Central Ground Water Board —Member (iii) A Group 'A' officer from another Central Government Department —Member **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—** (i) Director (Administration), Central Ground Water Board —Chairman (ii) Executive Engineer, Central Ground Water Board —Member (iii) Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member	Not applicable.

[F. No. 23/22/2009-CGWB.]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 178 dated the 7th May, 2004.

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 189.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (क्लीनर) समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में क्लीनर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, क्लीनर, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम 2010 है।